Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

प्राकृतिक संतुलन में व्यवधान और मानवाधिकारों का हनन करती आपदाएं

जितेन्द्र कुमार सरोज

शोध छात्र,

मानवाधिकार विभाग, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

Article Info

Volume 4, Issue 6

Page Number : 72-81

Publication Issue :

November-December-2021

Article History

Received : 15 Nov 2021

Published : 30 Nov 2021

सारांश– प्रदूषण इत्यादि के कारण हमारा वातावरण असंतुलित हो रहा है। प्रकृति स्वयं इस असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करती है जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाएं आती हैं दुर्भाग्य की बात है की प्राकृतिक आपदाओं के सामने मनुष्य असहाय सा पड़ जाता है इन आपदाओं को रोकना मानव के बस में तो नहीं होता है किन्तु सम्यक् तत्परता, सूझ–बूझ एवं समझदारी से ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है और इन आपदाओं के कारण हो रहे मानवाधिकारों के हनन को रोका जा सकता है। इन आपदाओं को रोकने हेतु हम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं, आपदारोधी नई–नई तकनीकी और विधियों का निर्माण कर रहे हैं, सरकारी गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा, प्रचार–प्रसार, जन–सहयोग इत्यादि के माध्यम से आपदाओं से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है जिसके सुखद परिणाम लगातार प्राप्त हो रहे हैं, शीघ्र ही हम आपदाओं के न्यूनीकरण में मजबूत स्थिति में होंगे।

बीज शब्द – प्राकृतिक आपदा, मानवाधिकार, पर्यावरण प्रदूषण, असंतुलन, न्यूनीकरण

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

आपदि प्राणरक्षा ही धर्मस्य प्रथमांकुरः

(अर्थात – आपदाग्रस्त जीव की रक्षा करना ही प्रथम धर्म है।[1])

प्रकृति द्वारा समस्त जीव जंतुओं का सृजन एक निश्चित अनुपात में किया गया है। किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बिना कारण के नही है और न ही वह प्रजाति बिना कारण के बनी रहती हैं सभी एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाता है किन्तु मानवीय क्रियाओं एवं अन्य कारणों से जब कभी भी प्रकृति द्वारा बनाये गए संतुलन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो प्रकृति स्वयं इस असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करती है प्रकृ ति द्वारा स्वयं को संतुलित करने के इसी प्रयास में हम पृथ्वी पर होने वाले वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय एवं जैविकीय परिवर्तन देखने को पाते हैं यह परिवर्तन जब अत्यंत तीव्र गति से होता है तो पृथ्वी पर उथल–पुथल मच जाती है और मानव जीवन के साथ–साथ समस्त जीव–जंतुओं का क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाता है बिना किसी पूर्व चेतावनी के पृथ्वी पर होने वाला यह परिवर्तन ही आपदा कहलाता है। इस प्रकार प्राकृतिक शक्तियों के अप्रत्याशित परिचालन से, जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है लायी गयी तबाही ही प्राकृतिक आपदा कहलाती है।

प्राकृतिक आपदाओं से सामान्य जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है विकास परियोजनाएं रुक जाती हैं जिससे असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर रोजगार को तरसने लगते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में इसका बुरा असर देखने को मिलता है । लोगों को अपने आवास का परित्याग करना पड़ता है तो कुछ लोगों के आवास ही बाढ़ जैसी आपदा में बह जाते हैं तो कुछ के भूकम्प और तूफान में ढह जाते हैं, पीढ़ियों से संरक्षित सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाती है। ओला वृष्टि या तेज वर्षा हुई तो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, अकाल पड़ा तो फसले ही नहीं होती हैं और उस क्षेत्र विशेष के जीव–जंतुओं की मृत्यु हो जाती है पेड़ पौधे और अन्य वनस्पतियाँ सूख जाती हैं और यदि आपदा महामारी के रूप में आई तो लाखों लोगों को अपनी जान गवानी पड़ती है। कोरोना काल में हो रही मौते इसका जीता जागता उदहारण हैं। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं मानवाधिकारों का हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

प्राकृतिक आपदा और मानवाधिकार– जर्मनी स्थित पर्यावरणीय और शोध संगठन 'जर्मनवॉच' द्वारा 25 जनवरी 2021 को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया इस सूचकांक में वर्ष 2000 से 2019 के बीच जलवायु सम्बन्धी आपदाओं और उनसे होने वाले नुकसान का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के अनुसार इस अवधि में सम्पूर्ण विश्व में 11,000 से अधिक जलवायु से जुड़ी

[1] महाभारत शांतिपर्व अध्याय 13 श्लोक संख्या 598

आपदाएं घटित हुई जिसमें 475,000 से अधिक लोगों की मौत हो गयी तथा 256,000 हजार करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया।[2] यह सिर्फ जलवायु सम्बन्धी आपदाओं का आंकड़ा है जरा कल्पना कीजिये यदि इसमें भू–गर्भिक, जैविकीय, और मानव कृत आपदाओं को जोड़ दिया जाए तो स्थित अत्यंत ही भयावह होगी । प्राकृतिक आपदाओं का मानवाधिकारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन आपदाओं के कारण मानव जीवन पर संकट के बादल मडराने लगते हैं, लोग भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, स्वच्छ वातावरण, बिजली, पानी इत्यादि मौलिक आवश्यकताओं से महरूम हो जाते हैं। आर्थिक तंगी, भुखमरी, विकलांगता, बीमारी इत्यादी के शिकार व्यक्तियों पर इन आपदाओं का इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि मानसिक रूप से इससे उबरने में उन्हें काफी वक्त लग जाता है।

प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण[3]

- वायुमंडलीय आपदा (जैसे – बर्फानी तूफान, तड़ितझंझा, तड़ित, पाला, लू, शीतलहर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा इत्यादि)
- भौमिक आपदा (जैसे – भूकम्प, ज्वालामुखी, भू–स्खलन, मृदा अपरदन इत्यादि)
- जलीय आपदा (जैसे – बाढ़, ज्वार, सुनामी, महासागरीय धाराएँ इत्यादि)
- जैविकीय आपदा (जैसे – जीवाणु, विषाणु, बर्ड फ्लू, डेंगू, फफूद, जीवों के पलायन, इत्यादि)
- मानव जनित आपदा (जैसे – गैस रिसाव, युद्ध (जैविक, रासायनिक, परमाणु), आतंकवादी हमला इत्यादि)

प्राकृतिक आपदाओं के कारण

(1) प्राकृतिक कारण

क–वायुमंडलीय परिवर्तन – वायु मण्डल में प्रदूषक की विद्यमानता के कारण होने वाला परिवर्तन वायु मण्डलीय परिवर्तन कहलाता है। ऐसे ठोस, तरल, गैसीय पदार्थ जिसमें ध्वनि भी शामिल है का वायु मण्डल में ऐसा संकेद्रण जिसके परिणाम स्वरूप यह मानव जीवन, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सम्पत्ति अथवा पर्यावरण के लिए हानिकार हो प्रदूषक[4] कहलाता है और वातावरण में ऐसे प्रदूषक की विद्यमानता ही वायु प्रदूषण कहलाती है।[5] वायु प्रदूषण वायु

[2] सम–सामयिक घटना चक्र पृष्ट 41
[3] भारत का भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 एन.सी.ई.आर.टी पृष्ट 83
[4] वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 2(कं)
[5] वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 2(ख)

मण्डल में होने वाले अहितकारी परिवर्तन जैसे हरित गृह प्रभाव इत्यादि में मुख्य भूमिका निभाता है जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है जैसे – सूखा, सुनामी, बादल का फटना आदि।

ख–भूगर्भीय परिवर्तन – भूमि के अन्दर होने वाली हलचल भूगर्भिक परिवर्तन कहलाती है। पृथ्वी अपनी घूर्णन गति के कारण समय समय पर बदलाव करती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप भू–कम्प, भू–स्खलन, मृदा अपरदन इत्यादि आपदाएं आती हैं।

ग–ज्वालामुखी उद्‌गार – ज्वालामुखी किसी ग्रह या उपग्रह पर उपस्थित ऐसा दरार या मुख होता है जहाँ से गर्म लावा, राख एवं गैस आदि बहार निकलता है। यह गर्म लावा, राख या गैस धरातल को तोड़ कर बहार निकलता है जिससे सुनामी, भू–कम्प, राख का गुबार जैसी आपदा आने की सम्भावना होती है।

घ–उल्कापिंड – यह आकाश में प्रकाश की चमकती हुयी लकीर के समान होते हैं जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है जो पृथ्वी के वायु मण्डल में पहुँचते ही घर्षण से चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं किन्तु कभी–कभी यह पूर्णतः नहीं जल पाते जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं जिससे भू–कम्प भू–स्खलन जैसी आपदाएं उत्पन्न होती हैं।

(2) मानवीय कारण

क– आधुनिकीकरण – भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु मनुष्य तीव्र गति से आविष्कार कर रहा है साथ ही साथ पेड़ पौधों को नष्ट कर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कर रहा है, जीव–जंतुओं के आवास को खत्म कर उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। नदी, तालाब, झील, समुद्र इत्यादि को कलुषित करता चला जा रहा है। इन सभी कारणों का प्रभाव यह हो रहा है कि आनुवांशिकीय, प्रजातीय और पारितंत्रीय जैव विविधता पूरी तरह से प्रभावित हो रही है हमारा पर्यावरण क्षतिग्रस्त होता चला जा रहा है। पर्यावरण में प्रदूषणकारी तत्त्वों की मात्रा तीव्र गति से बढ़ रही है जो आपदाओं को निमन्त्रण दे रही है।

ख– औद्योगिकीकरण – उन्नीसवीं सदी के अंतिम और बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षो में सम्पूर्ण विश्व में तीव्र गति से औद्योगिकीकरण होना प्रारम्भ हुआ जो आज तक निरंतर जारी है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के कारखानों का निर्माण हुआ नए–नए उद्योग लगाये गये, इन कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट और गैसों ने हमारे वातावरण को दूषित किया हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापन में वृद्धि हुई जिससे अनेक प्रकार की आपदाओं का जन्म हुआ।

ग–शहरीकरण – बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी से लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है जिससे शहरों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारत में 31.2 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है।[6] वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत होने की संभावना है।[7] निर्धनता, आर्थिक समस्या, एवं आवास की कमी से गन्दी बस्तियों का निर्माण हो रहा है, प्लास्टिक थैलियों के अनियंत्रित प्रयोग से नालियाँ बंद होती रहती हैं यदि इसी बीच हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो शहरों में बाढ़ जैसी आपदा आ जाती है क्योंकि शहरों का विस्तृत भू–भाग कंक्रीट से पट चुका है और जल आसानी से भूमिगत नही हो पा रहा है। स्थिति सामान्य होने पर भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा बना रहता है।

प्राकृतिक आपदाओं का निवारण– दुर्भाग्य की बात है की प्राकृतिक आपदाओं के सामने मनुष्य असहाय सा पड़ जाता है इन आपदाओं को रोकना मानव के बस में तो नहीं होता है किन्तु सम्यक् तत्परता, सूझ–बूझ एवं समझदारी से ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है और इन आपदाओं के कारण हो रहे मानवाधिकारों के हनन को रोका जा सकता है। निम्न उपायों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है –

क–पर्यावरण संरक्षण – हमारी पृथ्वी पर व्याप्त पर्यावरण प्रकृति का सर्वोत्तम वरदान है और जब मानवीय कृत्यों या अन्य कारणों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है तो यह प्रदूषण ही विभिन्न प्रकार की आपदाओं को जन्म देता है। 18 फरवरी 2021 को ग्रीनपीस का '**दक्षिण पूर्व एशिया में वायु प्रदूषण के कारण लागत**' विश्लेषण जारी किया गया इसके अनुसार दिल्ली, मैक्सिको, साओ पाउलो, शंघाई और टोक्यो में लगभग 1,60,000 लोगों की मौत का कारण पीएम 2.5 वायु प्रदूषण है।[8] इसलिए पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को रोक कर हम प्राकृतिक आपदाओं से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं।

ख–सतत पोषणीय विकास – सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को बिना जोखिम में डाले वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करती है।[9] यदि विकास सहज तरीके से हो, तो इससे निर्धनता दूर होती है किन्तु यदि यही विकास मनुष्य पर्यावरण की कीमत पर करता है तो इसके गम्भीर परिणाम निकलते हैं।

[6] एस. के. ओझा जनसंख्या एवं नगरी कारण जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े पृष्ट 36
[7] सम–सामयिक घटना चक्र पृष्ट 48
[8] समसामयिकी क्रॉनिकल पृष्ट 32
[9] पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण विधि की रूपरेखा डॉ अनिरुद्ध प्रसाद पृष्ट 162

ग–पर्यावरण की रक्षा में तकनीक का प्रयोग – यदि हम पृथ्वी को आपदाओं से बचाना चाहते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव के विनाश हेतु न करके पर्यावरण, आपदाओं को पहचानने, रोकने तथा नियंत्रित करने अर्थात मानव जाति, वनस्पति एवं जीव–जंतुओं के कल्याण हेतु करना होगा।

घ–अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों/सम्मेलनों में स्वीकार किये गए सिद्धांतो को अमल में लाना होगा – प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अभिसमय एवं सम्मेलन हुए जैसे – स्टॉकहोम घोषणा 1972, नैरोबी सम्मेलन 1978, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन 1992, टोरन्टो विश्व सम्मेलन 1988, संयुक्त राष्ट्र जलवायु संरचना अभिसमय 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 इत्यादि इन अभिसमयों/सम्मेलनों में स्वीकार की गयी बातों को सम्यक् रूप से अमल में लाना होगा।

ङ–राष्ट्रीय विधियों का कठोरता से अनुपालन – भारत में संवैधानिक प्रावधानों[10] के साथ–साथ अनेक कानूनों का भी निर्माण पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है ताकि पृथ्वी पर संतुलन बना रहे इनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, कारखाना अधिनियम 1948, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, इत्यादि प्रमुख हैं। यदि इन कानूनों का कठोरता से अनुपालन होगा तो निश्चित ही हम आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकेंगे।

च–न्यायालयी निर्देशों का अनुपालन – भारत में 2/3 दिसम्बर की मध्य रात्रि में हुए भोपाल गैस त्रासदी के बाद उच्चतम न्यायालय ने एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ[11] के मामले में पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई उद्योग किसी ऐसे खतरनाक अथवा स्वभाव से संकटपूर्ण व्यवसाय में रत है जिससे लोगों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को भय की सम्भावना होती है तब उसका यह पूर्ण दायित्त्व है कि वह यह सुनिश्चित करे की उस कार्य से किसी को कोई भी क्षति न हो यदि कोई क्षति होती है तो वह उसके लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार भारतीय उच्चतम न्यायालय ने समय–समय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अनेक दिशा निर्देश अपने वादों के माध्यम से दिया इन वादों में चरण लाल साहू बनाम भारत संघ,[12] सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य,[13] इंडियन

[10] अनुच्छेद 48(क), अनुच्छेद 51(1)(छ)
[11] ए.आई.आर 1987 एस.सी 1086
[12] (1990) 1 एस सी सी 613
[13] ए.आई.आर 1991 एस.सी 420

काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ,[14] वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ,[15] इन री ध्वनि प्रदूषण[16] आदि प्रमुख हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा नियन्त्रण हेतु संधि, सम्मेलन, अभिसमय इत्यादि की भूमिका – प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण हेतु जापान के यॉकोहामा नगर में वर्ष 1994 में 23 से 27 मई के बीच विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय समुदायों से सहयोग प्राप्त करने हेतु उन्हें संगठित करने, मानव तथा संस्थागत क्षमताओं के निर्माण, सशक्तिकरण, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रीकरण और उसका उपयोग तथा संसाधनों के संग्रह पर विशेष बल दिया गया। आपदाओं के प्रति लोगों की सजगता और बढ़े, इसीलिए वर्ष 1990 से 1999 के बीच के वर्ष को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया था और प्रति वर्ष 13 अक्तूबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।[17]

14 से 18 मार्च, 2015 तक जापान के सेण्डई मियागी में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में सेण्डई फ्रेमवर्क को अपनाया गया। सेण्डई फ्रेमवर्क के अंतर्गत चार प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है –

- आपदा जोखिम को समझना।
- आपदा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए जोखिम प्रशासन सुदृढ़ करना।
- समुत्थान–शक्ति हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निवेश करना।
- प्रभावी अनुक्रिया हेतु आपदाओं से निपटने की तैयारी को बढ़ाना तथा बहाली, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण में 'बिल्ड बेटर बैक' की स्थिति में लाना।

आपदा नियन्त्रण में सरकार की भूमिका –आपदाओं से निपटने के लिए भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया यह अधिनियम राष्ट्रीय, प्रान्तीय, जनपदीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु संस्थानिक एवं समन्वयकारी तंत्र का प्रावधान करता है । इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार ने बहुस्तरीय संस्थानिक प्रणाली सृजित की है। 1 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गयी इस योजना में आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु

[14] (1996) 3 एस सी सी 212
[15] (1996) 5 एस सी सी 647
[16] ए.आई.आर 2005 एस.सी 3036
[17] भारत का भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 एन.सी.ई.आर.टी पृष्ट 84

सेण्डई फ्रेमवर्क में इंगित उपागम को अपनाया गया है।[18] आकाशीय बिजली गिरने से होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए ओड़िसा के बालासोर में 5 फरवरी 2021 को देश का पहला अनुसन्धान परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया।[19] आदि प्रमुख हैं।

आपदा नियन्त्रण में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका – वर्तमान समय में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका आपदा नियन्त्रण में महत्त्वपूर्ण साबित हो रही है। गैर–सरकारी संगठन विज्ञान व पारम्परिक ज्ञान का सामंजस्य स्थापित कर प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में प्रभावी ढंग से अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

आपदा नियन्त्रण में सिविल सोसाइटी की भूमिका –

जब भी कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सभ्य समाज अपनी जान की परवाह किये बिना ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए शारीरिक और आर्थिक रूप से तब तक खड़ा रहता है जब तक की जन–जीवन अपनी सामान्य अवस्था में नहीं आ जाता। किसी भी आपदा में सबसे अधिक प्रभावित निर्धन और कमजोर वर्ग होता है ऐसे निर्धन और कमजोर वर्ग की सहायता में सभ्य समाज हमेशा खड़ा रहता है। कोरोना काल में गरीबों को भोजन, मरीजों को ऑक्सीजन, दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे मजदूरों को जरूरी संसाधन पहुचाने में सभ्य समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

निष्कर्ष –आज सम्पूर्ण विश्व प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है और इन आपदाओं से स्वयं को बचाने के लिए हम निरन्तर प्रयासरत है इस प्रयास में हम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं, आपदारोधी नई–नई तकनीकी और विधियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी आपदाओं से बचने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद, आपदा निवारण और प्रबंधन हेतु जो भी आवश्यक बन पड़ रहा है वह सब कर रहे हैं किन्तु फिर भी हमारा यह प्रयास उस सीमा तक सफल नहीं हो पाया है कि लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो रही विशाल जन–धन की हानि को रोक सकें। यह सत्य है कि प्राकृतिक आपदाओं पर मानव का कोई नियन्त्रण नहीं हैं किन्तु इन प्राकृतिक आपदाओं को निमन्त्रण देने में मानवीय भूमिका के सत्य को हम झुठला भी नहीं सकते। स्पेनिश दार्शनिक जॉर्ज संतायाना ने कहा था जो लोग अतीत से सबक नहीं लेते वे इसे दोहराने का अपराध करते हैं इसलिए हमें अतीत से सबक लेते हुए भविष्य की कार्य योजना तैयार करनी होगी नहीं तो हमें इसके गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे।

[18] भारत का भूगोल एस.के ओझा पृष्ट 184–185

[19] समसामयिकी क्रॉनिकल पृष्ट 30

विगत कुछ वर्षो से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किये जाने वाले प्रयासों का सुखद परिणाम निकला है, अब हम कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, इत्यादि का पूर्व अनुमान कर सकते हैं तो कुछ आपदाओं के बारे में आँकड़े और सूचना एकत्र कर ऐसी आपदाओं के संभावी क्षेत्रों का मानचित्र तैयार कर वहाँ के लोगों को जानकारी प्रदान कर सकते हैं तथा उपग्रहों इत्यादि के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं जिससे यदि ऐसे क्षेत्रों में आपदा आये तो हम ऐसी आपदा का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहें। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास जारी है। आपदा के न्यूनीकरण हेतु सरकारी, गैर–सरकारी संगठन सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा, प्रचार–प्रसार, जन–सहयोग इत्यादि के माध्यम से आपदाओं से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन प्रयासों को देखते हुए हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब हम इन आपदाओं के विरुद्ध स्वयं को एक मजबूत स्थित में पाएंगे।

सुझाव

- अधिक प्रभावी ढंग से स्वयं को सुरक्षित बनाने के लिये आपदा जोखिम का अनुमान लगाना, योजनएं बनाना तथा इस संदर्भ में प्रभावी कार्य करना आवश्यक है।
- पर्यावरणीय प्रबंधन को सभी योजनाओं एवं विकास कार्यकलापों में शामिल किया जाना चाहिए।
- भिन्न–भिन्न किस्म की आपदाओं जैसे भू–कम्प, भू–स्खलन, सुनामी आदि के लिए भिन्न–भिन्न किस्म की योजनाएं तैयार किये जाने चाहिए।
- सभी नए निर्माणों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार आपदा रोधी बनाया जाना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप घरेलू संसाधनों के उपयोग हेतु (वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से) विकासशील देशों की क्षमता में वृद्धि करना।
- आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में जन जीवन सामान्य करने हेतु, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिये आवश्यक तैयारी की जानी चाहिए।
- आपदा जोखिम के प्रति सभी स्तरों पर उत्तरदायित्त्व तय किया जाना चाहिए।
- वैश्विक स्तर से लेकर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु रणनीति तैयार की जानी चाहिए ।
- कुशल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आपदा जोखिम के प्रबंधन में व्याप्त कमियों का निवारण किया जाना चाहिए।

- आपदा से बचने हेतु समय समय पर मॉक ड्रिल और जन–जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981

2.भारत का संविधान 1950

3.पाण्डेय जय नारायण डॉ, भारत का संविधान 46वाँ सं. 2013 से.लॉ.ए.इलाहाबाद

4.अग्रवाल एच, ओ. डॉ. अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, से.लॉ.प. इला 10वाँ स. 2008

5.प्रसाद अनिररूद्ध,पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि कि रूप रेखा 6वाँ सं. 2011 से.लॉ.प. इलाहाबाद

6.ओझा एस.के, भारत का भूगोल

7.ओझा एस.के, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

8.सम–सामयिक घटना चक्र

9.सम–सामयिक घटनासार

10.भारत का भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 एन.सी.ई.आर.टी

11.समसामयिकी क्रॉनिकल

12.ओझा एस.के जनसंख्या एवं नगरी कारण जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े